न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 18/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
साऊ पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी जाटियावास, तहसील व जिला जोधपुर		1. चन्द्रसिंह पुत्र भोमसिंह 2. किशनसिंह पुत्र भोमसिंह 3. गोपालसिंह पुत्र भोमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण रामासनी, तहसील बिलाड़ा 4. ज्योति सोलंकी पत्नी आसुराम जाति मेघवाल निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 5. नरेगा अधिकारी, पंचायत समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति प्रार्थी की ओर से श्री एन.एस. सोढा अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक 29-12-2017

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में खाता संख्या 343 खसरा नम्बर 248/1 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। प्रार्थीया ने उक्त जमीन भुराराम वगैराह से खरीद की एवं बंटवाड़ा करवाकर प्रार्थीया व बैचानकर्ता के बीच बंटवाड़ा हो गया एवं उक्त खसरा नम्बर का उतरी हिस्सा भूराराम वगैराह के व दक्षिणी हिस्सा प्रार्थीया के बंट में आया एवं बंटवाडा अनुसार दोनो पक्ष अलग–अलग काबिज चले आ रहे है एवं उनके बीच में कोई विवाद भी नही है। प्रार्थीया के खेत के दक्षिण में खसरा नम्बर 256 गै.मु. रास्ता चलता है जो पूर्व पश्चिम प्रार्थीया के खेत के दक्षिण माठ के सहारे चलता है एवं उक्त रास्ते के दक्षिण में खसरा नम्बर 318 अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का खातेदारी का है एवं उक्त अप्रार्थीगण के उतर में उक्त वर्णित रास्ता तरमीमसुदा मौजूद है। राजस्व रेकर्ड प्रार्थीया की खातेदारी का संवत् 2067 से 2070 खसरा नम्बर 318 व खसरा नम्बर 256 का प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बहुत ही बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है जिन्होने अप्रार्थी संख्या 4 से साठगांठ कर एवं पूर्व हल्का पटवारी सुरजनारायण मीणा से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपने खेत की पैमाईश करना बताया जबकि प्रार्थीया व उसका पति मौके पर गये जिन्होने अपने खेत की पैमाईश बाबत् निवेदन किया परन्तु उक्त हल्का पटवारी जो प्रार्थीया के पति से द्वेषभाव रखते थे क्योकि उन्होने प्रार्थीया के पति से रिश्वत के रूपये मांगे। उनका कहना नही मानने के कारण वो नाराज हो गये एवं उन्होने कहा कि मै बताता हू पटवारी क्या चीज होता है। जिस पर प्रार्थीया के पति ने प्रार्थीया के उक्त खेत की पैमाईश हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार बिलाड़ा को पेश किया जो दिनांक 10.02.2016 को पेश किया जिस पर निर्धारित शुल्क भी जमा करवा दिया एवं जिस पर हल्का पटवारी को दिनांक 04.05.2016 को सीमांकन करने हेतु आदेश भी पारित कर दिया। परन्तु अभी तक पैमाईश नही की गयी है जिस कारण उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थीया के खेत के दक्षिण तरफ करीब 2 बीघा भूमि में रास्ता बनाने की कार्यवाही करने पर आमादा है जबकि उक्त खेत में रास्ता निकालने की न तो आवश्यकता है और न ही उक्त अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के खेत में रास्ता निकालने का अधिकार ही है। प्रार्थीया ने निर्धारित स्थल रास्ता की जगह सड़क निर्माण हेतु जो निर्माण कार्य नरेगा के तहत किया जा रहा है अप्रार्थी संख्या 4 जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से नाजायज प्रलोभन लेकर अवैध निर्माण प्रार्थीया के खेत में करवाने

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की धमकी दिनांक 20.12.2015 को दी जिस पर प्रार्थीया के पति ने तहसीलदार बिलाड़ा को एक प्रार्थना पत्र दिया तत्पश्चात् पैमाईश हेतु दिनांक 04.05.2016 को आदेश भी करवाया परन्तु पैमाईश नही हो पाने के कारण उक्त लोग अब प्रार्थीया के खेत में बलपूर्वक अतिक्रमण कर सड़क निर्माण करने पर आमादा है। अगर खसरा नम्बर 256 गै.मु. रास्ता को उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपने खेत में मिलाते हुए उसके भी आगे प्रार्थीया के खेत में अतिक्रमण उसके बाद सड़क निर्माण करते है तो प्रार्थीया जो एक गरीब काश्तकार महिला है एवं उसके परिवार का जीवनयापन इस कृषि भूमि से ही होता है। अपनी कृषि भूमि से वंछित हो जायेगी। अगर राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था को वादीया की भूमि सार्वजनिक निर्माण हेतु लेने की आवश्यकता होगी तो विधि अनुसार उक्त ली जाने वाली भूमि का सीमांकन कर ली जाने वाली भूमि का मुआवजा देकर ही राज्य सरकार किसी काश्तकार की भूमि अधिग्रहित कर सकती है परन्तु इस प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही है न ही आवश्यकता है। मात्र लाठी लकड़ी के बल पर उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अप्रार्थी संख्या 4 के सहयोग से प्रार्थीया को अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से वंछित करने व वादीया को नुकसान पहुचाने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 5 मात्र औपचारिक पक्षकार है क्योकि उक्त निर्माण नरेगा के तहत अप्रार्थी संख्या 5 के कार्यालय से कराया जा रहा है। जिस कारण उन्हे आवश्यक पक्षकार होने के कारण अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीया का वाद सरकारी हितो या सरकारी सम्पति के विरूद्ध नही है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से सड़क निर्माण या अन्य किसी प्रकार से अतिक्रमण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे और प्रार्थीया के खातेदारी खेत में उसके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार से दखलन्दाजी अप्रार्थीगण और न ही उनके हाली एजेन्ट ही करे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब पेश किया गया यह है कि पद संख्या–1 प्रार्थना–पत्र में भूमि का विवरण दिया गया है, जो सही है। पद संख्या–2 प्रार्थना–पत्र का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने पद को स्वयं साबित करें। पद संख्या–3 प्रार्थना–पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 248/1 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 256 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता अप्रार्थी संख्या–4 ग्राम पंचायत रामासनी की खातेदारी भूमि है एवं खसरा नम्बर 318 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि है। अतः भूमि खसरा नम्बर 248/1, 256, 318 अलग–अलग खातेदारी की है, जो नक्शा ट्रेस में तरमीमसुदा है। पद संख्या–4 प्रार्थना–पत्र गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता आया हुआ है, जो ग्राम पंचायत रामासनी के अधिकार क्षेत्र में आता है, उक्त गैर मुमकिन रास्ता ग्राम रामासनी से पालासनी गांव तक जाने वाला आम रास्ता आवागमन के तथा ग्राम रामासनी के लोगों को अपने खेतों में पहुंचने हेतु का उपयोग में आ रहा था, जिस पर मुडिया सड़क का निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और राज्य सरकार ने ग्राम रामासनी से पालासनी गांव जाने वाली सड़क तक महानरेगा के अन्तर्गत मुडिया सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गयी, जिसका अप्रार्थी संख्या–5 द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या–5 ने खसरा नम्बर 256 गैर मुमकिन रास्ता पर मुडिया सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, तब प्रार्थी ने निर्माण कार्य को रूकवा दिया और भूमि का नाप एवं सीमांकन करने के बाद ही निर्माण कार्य करने हेतु का कहा तो अप्रार्थी संख्या–5 ने निर्माण कार्य को रोक दिया। प्रार्थी ने तहसीलदार, बिलाडा के समक्ष भूमि का नाप एवं सीमांकन का प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार, बिलाडा ने नाप एवं सीमांकन करने का आदेश हल्का पटवारी को दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि का नाप किया, तो प्रार्थी का नाप कोई सड़क निर्माण में नही होना पाया तो अप्रार्थी संख्या–5 ने गैर मुमकिन रास्ता पर मुडिया सड़क का कार्य पुनः शुरू कर निर्माण कार्य को पूरा किया, जो मौके पर

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या–4 को अपनी खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है। प्रार्थी की किसी भी भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया गया तो मुआवजा देने का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थी ने हल्का पटवारी के विरूद्ध बिना आधार का आरोप लगाया है, हल्का पटवारी ने तहसीलदार, बिलाडा द्वारा दिये गये आदेश की पालना में नाप किया है। पद संख्या–5 प्रार्थना–पत्र गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या–4 ने खसरा नम्बर 256 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर महानरेगा के अन्तर्गत मुडिया सड़क का निर्माण कार्य करवाया। अप्रार्थी संख्या–4 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 248/1 में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करवाया है और न ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अप्रार्थी संख्या–4 से मिलकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रास्ते का निर्माण कार्य करने में सहयोग प्रदान किया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 256 गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण करना चाहती है, प्रार्थी ने राजनीतिक पार्टी बाजी के कारण एवं द्वेषभावना की नियत से अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह झूठा प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। पद संख्या–6 प्रार्थना–पत्र का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा पेश किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को कोई सफलता नही मिल सकती। पद संख्या 7 प्रार्थना–पत्र गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 256 गैर मुमकिन रास्ता समस्त ग्रामवासी अपने खेतों में आने–जाने हेतु उपयोग व उपभोग में ले रहे है और उक्त सार्वजनिक रास्ता ग्राम रामासनी से पालासनी गांव तक जाने वाला आम रास्ता है, जिस पर आवागमन चलता है, जो रास्ता आवागमन की गतिविधियों के रूप में जन सामान्य के काम में आ रहा है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थी सार्वजनिक आम रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण करने की फिराक में है, इस कारण तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के पक्ष में नही है। अगर प्रार्थी द्वारा जन सामान्य के उपयोग में आने वाले सार्वजनिक आम रास्ता पर अतिक्रमण कर लिया गया तो अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण व समस्त ग्रामवासियों को होगी, इस कारण अपूर्णनीय क्षति का मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र गैर मुमकिन रास्ता पर कराये गये महानरेगा के तहत सडक निर्माण को लेकर दावा एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया हुआ है, जो दावा एवं प्रार्थना–पत्र सरकारी सम्पत्ति के विरूद्ध पेश किया हुआ है, लेकिन प्रार्थी की ओर से दावा एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पहले पंचायतीराज संस्था अधिनियम, 1994 की धारा 109 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को नोटिस नही दिया, बिना नोटिस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। अप्रार्थी संख्या–4 विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, अतः रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का दावा ही विधि अनुसार चलने योग्य नही है। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है।

अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरा सं. 1 का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम रामासनी की सीमा में खाता सं. 343 खसरा न. 248/1 रकबा 8.19 बिघा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम है बाकी फिकरा प्रार्थीया का अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 इल्म नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने अपने वाद एवं प्रार्थना पत्र में बंटवाड़े के कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 का जवाब इस प्रकार है कि रेकर्ड अनुसार खसरा न. 256 गै.मू.रास्ता है। प्रार्थीया के पति मानाराम ने कृषि भूमि की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट सहित श्रीमान तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष पेश करने पर पैमाईश हेतु हल्का पटवारी को आदेश जारी किया गया तत्पश्चात दिनांक 28.5.2016 को हल्का पटवारी ने प्रतिवादी अप्रार्थी सं. 4 हल्का ग्राम सेवक व अन्य ग्राम वासियों के रूबरू ग्राम रामासनी के खसरा नं. 256 रकबा 16.08 बिघा किस्म गै. मू. रास्ते का जरीब से पैमाईश की। प्रार्थीया ने इस पैरे में वर्णित किया कि प्रार्थीया के खेत के दक्षिण में खसरा सं. 256 गै.मू. रास्ता चलता है जो पुरब पश्चिम प्रार्थीया

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

के खेत के दक्षिण माठ के सहारे चलता है। परन्तु फर्द मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 248/1 का तरमीम शुदा अंकन नहीं है। प्रार्थीया ने जो नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जिसकी नकल अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को नही दी गयी इसलिए इसका जवाब देना सम्भव नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 प्रार्थीया ने जिस प्रकार अभिकथन किया है गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीया ने मनगड़न्त तथ्य लिखे है जो स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 4 ने कोई किसी भी व्यक्ति से साठ गाठ नही की। प्रार्थीया के पति के आवेदन पेश करने श्रीमान तहसीलदार बिलाड़ा के आदेश की पालना में पैमाईश कर मौका फर्द बनाई सबूत में सत्य प्रतिलिपि सलग्न हैं। प्रार्थीया ने हल्का पटवारी पर सरासर गलत इल्जाम लगाये है। प्रार्थीया के खेत में सड़क निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। मौके पर गै.म. रास्ते की भूमि पर ही नरेगा के तहत सार्वजनिक हित में सड़क का निर्माण को रूकवाने पर आमादा हैं। एक तरफ तो प्रार्थीया ने वाद धारा 88 आर.टी. एक्ट का किया दूसरी तरफ स्थाई निषेधाज्ञा के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही जो अपने आप विरोधाभाषी हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 5 गलत होने से अस्वीकार है। सही बात यह है कि नरेगा के तहत सड़क का निर्माण हो रहा है। मौके की पैमाईश हो चुकी है। खसरा नं. 256 की भूमि गै.मू. रास्ते में ही सार्वजनिक हितार्थ सड़क बनाई जा रही है इसलिए प्रार्थीया को मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। मुआवजे के लिए वैकल्पिक रास्ता है जो प्रार्थीया ने मुआवजे की कार्यवाही अलग से नही की हैं। प्रार्थना पत्र पैरा सं. 6 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने वाद जरूर पेश किया परन्तु उसे सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 7 गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीया का यह मामला प्रथम दृष्टया ही खारिज याोग्य है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं हैं। गै.मू. रास्ते में सार्वजनिक हितार्थ नरेगा के तहत सड़क बन जाती है तो प्रार्थीया को कोई अपूर्णिय क्षति नही होगी । प्रार्थीया को नरेगा के नियमों व कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत रामासनी की सरपंच के विरूद्ध वाद पेश करने के 60 दिन पहले धारा 109 पंचायत राज अधिनियम के तहत नोटिस नही दिया इसलिए प्रार्थीया का वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने काबिल नही है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट मय खर्चे खारिज फरमावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम रामासनी की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248/1 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा की है तथा इसी प्रकार खरसा नम्बर 256 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा गै.मु. रास्ता अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत रामासनी की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत रामासनी ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248/1 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा में से नरेगा के तहत रास्ता का कार्य करवा दिया है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की का निर्माण कार्य करने का अधिकारी नही है। अगर निर्माण कार्य कर लिया जायेगा तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अप्रार्थी संख्या 4 से मिलकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रास्ते का निर्माण कार्य करने में कोई सहयोग प्रदान नही किया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 256 गै.मु. रास्ता की भूमि पर मात्र अतिक्रमण करना चाहती है। मौके पर महानरेगा के तहत कार्य हो चुका है और उक्त खसरा नम्बर 256 गै.मु, रास्ता आम जनता के लिए आवागमन के लिए काम में आ रही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही बनना पाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 4, 5 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थीनी के पति मानाराम ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 248/1 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा की पैमाईश कराने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष पैमाईश का प्रार्थना पत्र पेश किया और हल्का पटवारी ने दिनांक 28.05.

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2016 को ग्राम सेवक व अन्य ग्रामवासियों की मौजूदगी में खसरा नम्बर 248/1 व 256 का नाप किया है। जिसमें किसी प्रकार की प्रार्थीनी की भूमि का नाप खसरा नम्बर 256 गै.मु. रास्ता के अन्दर नही आया है। मौके पर गै.मु. रास्ते की भूमि पर नरेगा के तहत सार्वजनिक हित में सड़क का निर्माझा कार्य किया गया है जो आवागमन के रूप में काम में आ रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत नोटिस नही दिया है, इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु नही बनना पाये जाते है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया कि ग्राम रामासनी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 248/1, 256, 318 अलग अलग खातेदारी की है, जो नक्शा ट्रेस में तरमीमसुदा है। अप्रार्थी संख्या 4 ने खसरा नम्बर 256 गै.मु. रास्ता की भूमि पर महानरेगा के अन्तर्गत मुडिया सड़क का निर्माण कार्य करवाया है। अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 248/1 में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करवाया है। खसरा नम्बर 256 गै.मु. रास्ता ग्राम रामासनी से पालासनी गांव जाने वाला रास्ता है, जिस पर आवागमन चलता है, जो रास्ता आवागमन की गतिविधियों के रूप में जनसामान्य के काम में आ रहा है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :–** जहॉ तक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है तो इस सम्बंध में खसरा नम्बर 256 गै.मु. रास्ता की भूमि पर अगर प्रार्थी द्वारा जनसामान्य के उपयोग में आने वाली भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर लिया गया तो अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण व जनसामान्य को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 29-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा